

न्यायालय भूमि सुधारउपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-281 / 2020-21



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

लादु मुण्डा

एमन मुण्डू

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
22.12.20	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक लादु मुण्डा पिता स्व० सतुआ मुण्डा ग्राम-अनिगड़ा, पो०-अनिगड़ा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने एमन मुण्डू पिता पुरन प्रसाद मुण्डू ग्राम-सगा (बारूडीह), पो०-बुरजू, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अनिगड़ा</td> <td>73</td> <td>43</td> <td>633</td> <td>0.13</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0417236762 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1085 दिनांक 19.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मधुवा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार रत्नु मुण्डा वगैरह के नाम भूमि 8.28 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 4.14 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 32699.00(बत्तीस हजार छः सौ निनानब्बे)रु० प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.01 एकड़ रह जाती है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लादु मुण्डा पिता स्व० सतुआ मुण्डा को एमन मुण्डू पिता पुरन प्रसाद मुण्डू के साथ ग्राम अनिगड़ा के खाता सं० 43 खेसरा संख्या 633 कुल रकबा 0.13 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 32699.00(बत्तीस हजार छः सौ निनानब्बे)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	अनिगड़ा	73	43	633	0.13	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
अनिगड़ा	73	43	633	0.13								